हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी। व्यक्तियों को यात्रा भत्ता उसी सवारी के अनुसार दिया जायेगा जिसका वे वास्तव में प्रयोग किया करें। व्यक्तियों को यात्रा भत्ता उसी सवारी के अनुसार दिया जायेगा जिसका वे वास्तव में प्रयोग किया करें। व्यक्तियों को यात्रा भत्ता उसी सवारी तरफ छपे नियमों के अनुसार किए जाये तो देरी से बचा जा सकता है'

	-	विद दावे वि	बल्कुल पन	ने के दूसरी	तरफ छ	प नियमा	क जुनर	116 1465	EN	AP CODE				
		-0	/पिता का न	नाम			पद	T	टा नेषित्र अ	गा (केवल	 रे	 र कर्मचारि	यों द्वारा भ	
नाम								4°	maci si		·,	ार कर्मचारि ए सं	4	रा जाये)
ग्रेड प						IFSC Co	de			al	ऊष	र सं र नं		
बैंक खात	ा नम्बर					मो	बाइल नं.			3	ाधाः	र नं		
बैंक का न	ाम/शाखा			••••••••••••••••••••••••••••••••••••••										
बैठकों के	नाम/दैनिव	क भत्ता के	प्रयोजनाथ							नाग नित	A	रूपये प	तेदिन की	1
यात्रा का विवरण						रेल वास्तविक किराया श्रेणी कि०		सड़क वास्तविक किराया		दर पर दैनिक भत्ता		जोड़		
प्रस्थान				आगमन			कि० मी० की	राशि	कि० मी० की	राशि	2	दिनों की संख्या	राशि रू० पै०	रू० पै०
स्थान	तिथि	समय	स्थान	तिथि	समय		संख्या	रू० पै०	संख्या	रू० पै०	40	तिख्या	रूठ ५०	
	- Acom													
लेखा परीक्षा करने के उपरान्त कुल				कुल	जोड़									
Pre-audited & Passed for Rs			. बजट	उपब्ध है	च कर ली गई है।			पये शब्दों में)						
Clerk/Asstt. Supdt.			ASA/CA	लिपिक/	चैक		धीक्षक (ले०) मु०ले०अ०/स०स०ले० क नं० दिनांक इायक अधीक्षक ^(ले०)					 क (ले ⁰⁾		

घोषणा पत्र दौरे की यात्रा के लिए प्रमाण पत्र

	अधिकरण के खर्च पर मेरे लिए यात्रा साधनों की व्यवस्था नहीं की गई थी। (नियम 2,100)
	1 जिस यात्रा के लिए यात्रा भत्ता क्लेम किया गरा है
•••	अन्यथा यात्रा की अनुमति नहीं थी। (नियम 292 से 295)
ये)	्र प्रमाणित किया जाता है कि
•••	द्वारा यात्रा की, मैंने समस्त दिनों में रेल की उसी श्रेणी से यात्रा की थी जिसका मैं अधिकारी हूँ।
•••	3. प्रमाणित किया जाता है सेसे तक मैंने कार द्वारा
	वास्तविक कारिकट गंजराहै।
् ड़	3. (क)प्रमाणित किया जाता है
À	कारी कारी जाना का शा तथा
	
	4. प्रमाणित किया जाता है सड़क द्वारा यात्रा मोटर कार/मोटर साईकिल द्वारा की गई जिसका
to	નાહન લહ્યા
	क) वह भाड़े का वाहन था और पूरे का पूरा मेरे द्वारा आरक्षित करवाया गया है।
	खें) यह गर सरकारी सम्पत्ति थी। जिसका विवरण नीचे दिया जाता है :-
	ग) मेरी अपनी सम्पत्ति थी। घ) सरकारी वाहन था।
	5. प्रमाणित किया जाता है कि सड़क द्वारा यात्रा मोटर बस या लारी में एक सीट लेकर की थी।
	6. प्रमाणित किया जाता है कि अधिक्षेत्र से बाहर की यात्रा उचित प्राधिकार के अधीन की गई।
	7. प्रमाणित किया जाता है कि बिल मे दिखाई किलोमीटर संख्या सही है।
	8. प्रमाणित किया जाता है कियात्रा लोक हित में मेल/एक्सप्रेस गाड़ी
	द्वारा की गई।
	9. प्रमाणित किया जाता है कि से से तक
	मैं वास्तविक रूप से कैम्प में था/थी तथा इन दिनों में किसी भी प्रकार की खान/पान अथवा
	रहन/सहन की सरकारी सुविधा प्राप्त नहीं थी।
	10. प्रमाणित किया जाता है कि जिस अवधि के लिए दैनिक भत्ता क्लेम किया किया गया है उस अवधि के दौरान में आकस्मिक अवकाश पर नहीं था/थी।
	11. प्रमाणित किया जाता है कि स्थान पर सेतक
	मेरे ठहरने के दौरान जबकि मैं छुट्टी पर था प्रथम दस दिनों के पश्चात् मैं अतिरिक्त खर्च
	करता रहा।
	12. प्रमाणित किया जाता है कि मैंने लोकल कन्वेन्स केरू. व्यय किये।
-	विशेष ध्यान : जो प्रमाण पत्र लागू न हो उन्हें काट दिया जाये।
—	हस्साध्य
	पूरा पता :
	यदि राशि 5000/- रूपये अदायगी प्राप्त की प्रतिहस्ताक्षर मोहर सहित
	से अधिक हो तो एक रू० हस्ताक्षर मोहर सहित
	रसीदी टिकट लगाइये इस्ताक्षर कीजिए।
	- Adore

नोट : यात्रा भत्ता बिल अपने नियन्त्रण अधिकारी जैसे निवेशक शिक्षा विभाग/उप निवेशक, जिला अधिकारी/उप जि० अ० तथा संस्था अध्यक्ष के प्रति हस्ताक्षर करवाना अनिवार्य है-

TRAVELLING ALLOWANCE RULES PART - 1

1. Except as provident in part 2 payment of railway fare, daily allowance and village allowance shall be as under:-

2. For the purpose of Travelling Allowance/daily Allowance etc. the employee would be classified as follow

Grade 1 Employees drawing Grade pay at Rs. 10000/- and above P.M.

Grade 2 Employees drawing Grade pay at Rs. 8900/- and but below Rs. 9800/-

Employees drawing Grade pay at Rs. 4600/- and above but less than Rs. 8800/- P.M. Grade 3

Grade 4 Employees drawing Grade pay at Rs. 2500/- and above but less than Rs. 4200/- P.M.

Grade 5 Employees drawing Grade pay at Rs. 1300/- P.M. to Rs. 2,400/- P.M.

3. Railway accomodation admissible shall be under:-

Grade 1 10000/- and above AC 1st Class by Train, Ac Bus and Volvo

4. The revised pay range for entitlement to travel by road public transport would be as under :-

Grade 2 Grade Pay exceeding Rs. 8900-9800/- Ac Bus and Volvo AC 1st Class by Train.

Grade Pay exceeding Rs. 4600-8800/- Ac II Tier or AC Chair Car, AC Bus, Delux Bus Grade 3

Grade Pay exceeding Rs. 2500-4200/- Ac III Tier or Non AC Chair Car, Ordinary Bus, Delux Bus Grade 4

Grade Pay exceeding Rs. 1300-2400/- II Class or Sleeper or ordinary Bus Grade 5

5. Daily allowance admissible shall be as under : (D.A.) Rates to the Haryana State Employees revised w.e.f. 01-05-2018

Pay Range	Daily Allowance in any Town/City		
	in Haryana including Chandigarh		
Grade Pay 5 Rs. 1300-2400	300/-		
Grade Pay 4 Rs. 2500-4200	400/-		
Grade Pay 3 Rs. 4600-8800	500/-		
Grade Pay 2 Rs. 8900-9800	600/-		
Grade Pay 1 Rs. 10000 and above	700/-		

6. In the case of travel by a Govt. vehicle full daily allowance would be paid for each day or part there spend away from the Headquarters for absence of 24 hours or more. Where the total absence from the headquarters is less than 24 Hours daily allowance would be paid at the following rates:-

(i) When absence from Headquarters is less than 6 hours	30%
(ii) Whon absence from headquarters is for 6 hours or more but less than 12 hours.	50%
(iii) When absence from headquarters is for 12 hours or more but not more than 24 hours.	30 /6
to the first section of the fi	100%

PART - II

- Person undertaking the journey by their own vehicle or in a hired vehicle may take permission before hand.
- If person travels in another persons car and does not pay any thing for the use of propulsion of vehicle he will be entitled only Due Daily allowance as mentioned in Part I
- No person whose ordinary place residence is the same as the place of Board business or duty shall be entitled to DA., if he comes from an out station to attend Board business or to place of duty at that place.
- 4. No person residing with in the territorial jurisdiction of the Board shall be entitled to charge T.A. from place farther than the one which he ordinary resides.
- 5. Bill no presented within 6 months from the date of journey shall lapse & shall not be entertained unless the period of 6 month is extended by the Competent authority for good cause shown.
- 6. In case of journey by Air Ac, Rail/Ac, Bus/ Delux Bus tickets shall be appended to TA bills. In case or rail Journey by 1st Class/Ac Chair Car Ticket/Ticket No. Reservation slip as the case may be shall be produced. In the absence of ticket where ever, required, ordinary rail/bus fare will be given.

Daily Allowance in any Town/city out side Haryana/ Chandigarh	Hotel Charge Plus Daily Allowance at any place in the country out side Haryana/ Chandigarh			
		Per Day		
Rs. 400/-	Grade-5	Rs. 500 + Half Daily		
Rs. 500/-	Grade-4	Rs. 1500 + Half Daily		
Rs. 600/-	Grade-3	Rs. 3000 + Half Daily		
Rs. 700/-	Grade-2	Rs. 4000 + Half Daily		
Rs. 800/-	Grade-1	Rs. 5000 + Half Daily		